न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी —हेमन्त कुमार घनघोर आर० ए० एस०

प्रकरण संख्या—30 / 2024

1—महेशचन्द पुत्र श्री दाताराम उम्र करीब 57 साल जाति त्यागी निवासी ग्राम बसईनवाब तहसील बसईनवाब जिला धौलपुर

——–वादी

बनाम

1—ईश्वरीप्रसाद 2—राजेन्द्र 3—हाकिमसिंह पुत्रगण बेदरिया जातिगण गोलापूरब निवासीगण ग्राम बसईनवाब तहसील बसईनवाब जिला धौलपुर

4—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसईनवाब वहैसियल लैण्ड होल्डर धौलपुर

—— प्रतिवादीगण

वाद वास्ते स्वत्व घोषणा एवं
स्थाई निषेधाज्ञा हस्व दफा 88 व 188 आरटीए

उपस्थिति— श्री रामअवतार गौड एडवोकेट— वादी की ओर से
श्री सुरेश कटारा एडवोकेट — प्रतिवादी संख्या 1 ल.3 की ओर से

निर्णय दिनांक: 27.02.2025

वादी की ओर से वादपत्र इन तथ्यो के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 4525 रकवा 0.0379 जीरो तीन सौ उन्यासी हैक्टैयर वाके ग्राम बसईनबाब बी तहसील बसईनबाब जिला धौलपुर में 80 / 1361 भाग के अभिलिखित खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 रंहे तथा मुताबिक हिस्सा मौके पर काबिज काश्त रहे यही आराजीयात प्रस्तुत प्रकरण में विवादित है। जिसे आगामी मदो में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेंगा।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आये तथा वादी के कथनो के ताहिद में इकवाल दावा पेश किया । वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रति बयनामा तारीख 22.02.2024 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रति जमावन्दी खाता सम्वत 2076—79 खाता संख्या 77 वाके ग्राम बसईनबाब बी प्रदर्श 2, प्रस्तुत किये तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में बयान वादी महेश चन्द्र का कराया ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया । वादी ने अपने वादपत्र के माध्यम से निवेदन किया है कि विवादित आराज खसरा नम्बर 4525 रकवा 0.0379 जीरो तीन सौ उन्यासी हैक्टैयर वाके ग्राम बसईनबाब बी तहसील बसईनबाब जिला धौलपुर में 80 / 1361 भाग के अभिलिखित खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से जरिये पंजीबद्व बयनामा तारीखी 22.02.2024 से कय किया है तथा मौके पर मुताबिक हिस्सा काबिज काश्त है। अतः वादी को विवादित आराजी में 80 / 1361 खातेदार का तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह वादी के कब्जे का त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे एंव नाही अपने ऐजेन्टो से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ.

करावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के वर्तमान में हो रहे इन्द्राजात को कलमजद किया जाकर वादी का नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित किया जावें ।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन किया तथा वाद अवलोकन हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अत : आदेश है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को विवादित आराजी खसरा नम्बर 4525 रकवा 0.0379 वाके ग्राम वसईनबाव बी तहसील बसईनबाब में 80/1361 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकरं । वर्तमान में हो रहे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को इन्द्राजात को कलमजद कर वादी के नाम बतौर खातेदार अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(हेमन्त कुमार घनघोर)
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ